दिनांक : 21.03.2017

एपीडा द्वारा मांस संयंत्र पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन

(1 अप्रैल, 2017 से)*

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा व्यापार सरलीकरण करने और व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। पेपरलेस प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयास में, एकीकृत मांस संयंत्र, मांस प्रसंस्करण संयंत्र और स्लॉटर हाउस के पंजीकरण और नवीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली को आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. आवेदनों की 100% ऑनलाइन फिलिंग और प्रोसेसिंग।
2. ऑनलाइन शुल्क अंतरण के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे।
3. प्रोसेसिंग के प्रत्येक चरण पर एलर्ट्स के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में रिपोर्ट किए गए किसी भी अभाव के बारे में आवेदक को जानकारी दी जाएगी।
4. एपीडा द्वारा मांगी गई किसी भी अतिरिक्त जानकारी को आवेदक ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।
5. प्रमाण-पत्र को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जेनरेट किया जाएगा जिससे आवेदक लॉग-इन से वैध सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सके। प्रमाण-पत्रों की भौतिक प्रतिलिपि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण - 1

एपीडा वेबसाइट में इकाई पंजीकरण - मेम्बर एक्सेस के अंतर्गत मांस संयंत्र के पंजीकरण / नवीकरण के लिए ऑनलाइन लिंक है।

चरण - 2

मांस संयंत्र के पंजीकरण और नवीकरण के लिए निर्यातक को आर.सी.एम.सी नंबर प्रत्यय के द्वारा अपने लॉग-इन के माध्यम से आवेदक फार्म को एक्सेस करने की आवश्यकता होगी। नए मांस संयंत्र या वर्तमान मांस संयंत्र हेतु आवेदन भरने के लिए पंजीकरण के समय जारी किए गए यूजर आई.डी और पासवर्ड प्रयोज्य होंगे। नए संयंत्र पंजीकरण की स्थिति में सर्वप्रथम स्वंय को पंजीकृत कर पंजीकरण के दौरान बनाए गए प्रत्यय-पत्र के साथ लॉग-इन करने की आवश्यकता होगी।

चरण - 3

आवश्यक पंजीकरण विवरण भरें।

चरण - 4

विवरण को अपूर्ण भरने की स्थित में, कृपया बाद में अगले चरण पर फार्म को पूरा करने के लिए वर्तमान चरण / जानकारी की फाइल को सेव कर लें।

चरण - 5

एपीडा को आवेदन प्रस्तुत (सब्मिट) करें। इसके उपरांत आवेदन के भविष्य संदर्भ हेतु एक अभिस्वीकृति संख्या जेनेरेट हो जाएगी।

उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, लॉग-इन पृष्ठ पर एक यूजर मेनुअल (उपयोगकर्ता पुस्तिका) होगी। आवेदन भरने से पहले स्क्रीनशॉट्स के साथ चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट रुप से समझने के लिए इस यूजर मेनुअल (उपयोगकर्ता पुस्तिका) को डाउनलोड किया जा सकता है। यह भी परिकल्पित है कि पहली बार आवेदन भरते समय उपयोगकर्ता को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी पूछताछ (क्वेरी) को हेल्पडेस्क में फ़ाइल कर सकते हैं।

1 अप्रैल, 2017 से मांस प्रसंस्करण संयंत्र / एकीकृत संयंत्र और स्लॉटर हाउस के नवीकरण / पंजीकरण के लिए कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निर्यातकों के साथ इन्ट्रैक्शन के दौरान किसी भी अनिश्चित समस्या को सुलझाने के लिए आउटरीच सत्र को आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस दृष्टिकोण से, एपीडा द्वारा उद्योग के रुप में निर्धारित किए गए आवश्यक मांस हेतु निम्नलिखित एपीडा कार्यालयों में सत्र का आयोजन किया जाएगा:

1. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर भारतीय राज्य - एपीडा, दिल्ली मुख्यालय
2. महाराष्ट्र - एपीडा मुम्बई, क्षेत्रीय कार्यालय
3. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक - एपीडा हैदराबाद / बैंगलुरु, क्षेत्रीय कार्यालय
4. पूर्व और उत्तर पूर्व भारत - एपीडा कोलकाता, क्षेत्रीय कार्यालय

प्रत्येक पंजीकृत मांस संयंत्र को प्रशिक्षण / जागरुकता सत्र की तिथि / समय और निश्चित वेन्यू (स्थल) की सूचना दे दी जाएगी।

अत: निर्यातकों से यह निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन करें।